न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, बसिया

धारा 107 दं0प्र0सं0

वाद सं0 15/2017 दिनांक 02/06/2017

प्रथम पक्ष – श्री सुभाष मुण्डा पिता बैला मुण्डा ग्राम पारही ....बगैरह।

बनाम

द्वितीय पक्ष – श्री बुधू मुण्डा पिता सुखराम मुण्डा ग्राम पारही ....बगैरह।

आदेश

उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 04/2017 दिनांक 02/06/2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) श्री सुभाष मुण्डा उम्र 45 वर्ष पिता बैला मुण्डा (2) औडेसा मुण्डा उम्र 19 वर्ष पिता बैला मुण्डा (3) सुकरमनी कुमारी उम्र 18 वर्ष पिता बैला मुण्डा तीनों ग्राम पारही। **बनाम** द्वितीय पक्ष (1) बुधू मुण्डा उम्र 50 वर्ष पे0 स्व0 सुखराम मुण्डा (2) मोहन मुण्डा उम्र 22 वर्ष पिता बुधू मुण्डा (3) सोमारी मुण्डाईन उम्र 45 वर्ष पति बुधू मुण्डा तीनों सा0 पारही थाना कामडारा जिला गुमला। जमीन बटवारा को लेकर आपसी विवाद है उभय पक्षों के बीच शांति भंग होने की सम्भावना को लेकर न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :–

प्रथम पक्ष के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

उभय पक्षो द्वारा न्यायालय को प्रतिवेदित किया गया है वर्तमान में उभय पक्षो के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ हैं एवं इनके द्वारा बतलाया गया है इनके द्वारा कामडारा थाना में किसी प्रकार का शिकायत दर्ज नहीं कराया गया है। प्रथम पक्ष के सदस्य औडेसा मुण्डा पिता सुभाष मुण्डा पूर्व से ही कारावासीत है एवं इने छोडकर उभय पक्ष के सभी पक्षकार उपस्थित है। उभय पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुलहनामा पत्र प्रस्तुत करते है कि भविष्य में इनके द्वारा किसी प्रकार का शांति भंग नही किया जायगा उक्त स्थिति में सुलहनामा को स्वीकृति देते हुए सुलहनामा के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनुमंडल दंडाधिकारी
बसिया।

को।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

22/3/17 अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना उपस्थिति पत्र दाखिल किया गया। दोनों उभय पक्ष को

29/3/17 अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति पत्र एवं उभय पक्षों द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय के बाहर आपसी सुलहकर कर अधिवक्ता के माध्यम से सुलह नामा पत्र दाखिल किया गया है। जिसमें वे अपने-अपने कागजात भूमि पर खेती करेंगे एवं एक दूसरे के दखल भूमि में दखल करने नहीं जायेंगे।

अभिलेख आदेश हेतु पेश।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)